दिनांक 24.09.2025
मिशन शक्ति प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति अभियान–5.0 के तहत दिनॉकः 22.09.2025 से 23.09.2025 तक पैदल गस्त (फुट पेट्रोलिंग) की कार्यवाही विवरण

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन को सर्वोच्च प्राथमिकत्ता देते हुए मिशन शक्ति–5.0 का शुभारम्भ किया गया। जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को भय मुक्त वातावरण, गरिमामयी जीवन और आत्म निर्भरता की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ाना है।

उक्त क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा** के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेट/जनपदों में **पैदल गस्त (फुट पेट्रोलिंग)** में **दिनॉकः 22.09.2025 से 23.09.2025 तक 14,861** स्थानों पर गस्त/चेकिंग की गयी तथा **85,619** संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें **135** अभियोग पंजीकृत कर **177** व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एंव **49** अवैध शस्त्र, **20** अवैध वाहन, **849** लीटर अवैध शराब बरामद की गयी तथा **6,280** मनचलों लड़कों/शोहदों के अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दी गयी एंव **2,813** अवैध अतिक्रमणों को हटवाया गया।

दिनांक 24.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एस0टी0एफ0–कोलकाता (प0बंगाल) में ज्वैलरी शॉप में हुई लगभग 07 करोड़ रूपये मूल्य की आभूषण डकैती काण्ड में कुख्यात लुटेरा आदर्श सिंह बेहडा व उसका एक साथी गिरफ्तार, 20 लाख रूपये नगद सहित सोने व हीरे के आभूषण बरामद।</u>

दिनांक 23–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कोलकाता (प0बंगाल) में ज्वैलरी शॉप में हुई लगभग 07 करोड़ रूपये मूल्य की आभूषण डकैती काण्ड में कुख्यात लुटेरा आदर्श सिंह बेहडा व उसका एक साथी को 20 लाख रूपये नगद सहित सोने व हीरे के आभूषण के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– आदर्श सिंह बेहडा पुत्र संतोष सिंह निवासी बेहडा थाना केराकत जनपद जौनपुर।

2– सूरज सेठ पुत्र भगेलू सेठ निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1– 20,00,000/– नगद।

2– 12 अदद हीरे की अंगूठी।

3– 01 सोने की अंगूठी।

4– 01 हीरे का नैकलेस।

5– 02 मोबाइल फोन।

6– लूट के पैसे से खरीदी गयी नई बुलेट मोटरसाइकिल।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

गंभीरपुर टोला प्लाजा के पास थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ। दिनांक 23–09–2025

दिनांक 03–08–2025 को ज्वेलरी शॉप सोहन गोल्ड/डायमण्ड, टीन मुखर्जी रोड थाना दानकुनी, पुलिस चन्दननगर, हुगली (प0बंगाल) में दिनदहाड़े असलहो से

लैश 06 अज्ञात डकैतों द्वारा सनसनीखेज तरीके से दुकान के अन्दर मौजूद सभी लोगों को मारपीट कर लगभग 05–06 किलोग्राम सोने व डायमण्ड की ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही स्थानीय व्यापारियों में काफी दहषत का माहौल पैदा हो गया था। इस डकैती की घटना के सम्बन्ध में थाना दानकुनी पर मु0अ0सं0 254/2025 धारा 310(2)/311 बी0एन0एस0 व 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। स्थानीय पुलिस की विवेचना के दौरान उक्त घटना में बिहार व उत्तर प्रदेश के पेशेवर डकैतों के शामिल होने की संभावना होने पर पुलिस कमिश्नर चन्दन नगर (प0बंगाल) द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को संबंधित सी0सी0टी0वी0 फुटेज, फोटो एवं अभिसूचना आदि उपलब्ध कराते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सहयोग मॉगा गया था। इस संबंध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी को आवश्यक सहयोग हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभिसूचना संकलन के दौरान उक्त डकैती की घटना के मुख्य अभियुक्त आदर्श सिंह बेहडा के अपने साथियों सहित जनपद आजमगढ एवं आस–पास के जनपदों में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा वांछित आदर्श सिंह बेहडा को गंभीरपुर टोल प्लाजा थाना क्षेत्र गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ से उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ से पाया गया कि आदर्श सिंह बेहडा शातिर किस्म का अपराधी है, इसके द्वारा लूट, डकैती, जानलेवा हमला आदि जैसे जघन्य कई अपराधों को अंजाम दिया जा चुका है। वह थाना लंका क्षेत्रान्तर्गत हैदराबाद गेट के पास किराये पर कमरा लेकर छिपकर रह रहा था। इसी दौरान इसकी दोस्ती बिट्टू निवासी वैशाली (बिहार) व विनोद राय निवासी पटना (बिहार) से हुई। इन लोगों द्वारा किसी बडी ज्वेलरी शॉप में डकैती की योजना बनायी गयी। इसी योजना के तहत बिट्टू और विनोद राय द्वारा इससे सम्पर्क कर बुलाया गया कि कोलकाता में एक बडी ज्वेलरी शॉप की रैकी कर ली गयी है, जिसे लूटना है। दिनांक 02–08–2025 को आदर्श सिंह बेहडा बस द्वारा कोलकाता पहुँचा। बिट्टू

इसे बस स्टैण्ड से लेकर अपने घर पर रूकवाया जहॉ पर गैग के अन्य साथी भी मौजूद थे। बिट्टू द्वारा सभी को असलहे और चोरी की दो मोटरसाइकिले उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 03—08—2025 को योजना के तहत गैंग के 06 सदस्य सोहन गोल्ड/डायमण्ड ज्वेलरी शॉप पर पहुचे। जहॉ पर गैग का एक व्यक्ति बाहर खडा होकर निगरानी कर रहा था और 05 लोग अन्दर घुस गये और असलहा के बल पर दुकान के अन्दर मौजूद सभी लोगों को एक जगह इकठ्ठा कर लिया गया एवं मारपीट कर ज्वेलरी लूट ली गयी। घटना स्थल से कूछ दूर जाने के बाद मोटर साइकिल छोड़कर क्रेटा कार से लूट के सामान सहित रॉची पहुॅचे। रॉची से इनोवा गाड़ी बुक करके वाराणसी आ गये और 02 दिन बाद आदर्श सिंह बेहडा लूट का पूरा सामान लेकर अपने गॉव बेहडा आ गया। कुछ दिन बाद बिट्टू आया और लूट की ज्वेलरी का बटवारा किया गया। जिसमें से उसके द्वारा सूरज सेठ निवासी दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी एवं सूरजीत निवासी थाना गद्दी थाना केराकत जनपद जौनपुर को लूट की ज्वेलरी दिया गया। जिसके एवज में सूरज सेठ ने रू0 35,00,000/— एवं सुरजीत ने रू0 30,00,000/— इन लोगो को दिया था।

<u>आदर्श सिंह बेहडा द्वारा की गयी महत्वपूर्ण अपराधिक घटनायें:—</u>

1— वर्ष—2019 में जनपद जौनपुर के थाना चन्दवक क्षेत्रान्तर्गत दुकानदार से चोरी की मोटरसाइकिल से 76,000/—रूपये की लूट किया था।

2— वर्ष 2021 में प्रतिद्वंदी संजय सिंह बेहडा की हत्या करने के लिये अपने साथियों के साथ जा रहा था कि इसी दौरान एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान इसके साथियों को गिरफ्तार किया गया था परन्तु आदर्श सिंह बेहडा मौके से फरार होने में सफल हो गया था।

3— वर्ष—2022 में जनपद जौनपुर के थाना चन्दवक क्षेत्रान्तर्गत 50,000/—रूपये की लूट किया था।

4— दिनांक 10—04—2024 को मुजफ्फरपुर (बिहार) में अपने साथियों के साथ मिलकर कोलकाता ज्वेलरी की दुकान में असलहा दिखाकर लगभग 700 ग्राम सोने की चेन व 01 कि0ग्रा0 चॉदी की पॉयल लूट किया था। इस संबंध में थाना सदर जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) में मु0अ0सं0 242/2024 धारा 392

भादवि व 25(1)बी आर्म्स एक्ट व 26/35 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में भी यह वांछित चल रहा है। इस सम्बन्ध में मुजफ्फरपुर पुलिस से सम्पर्क किया जा रहा है।

4— वर्ष 2024 में बिहार में थाना रामगढ जनपद भभुआ क्षेत्रान्तर्गत अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने के लिये फायर किया था, जिसमें इसका विपक्षी किसी तरह से बाल—बाल बच गया था।

आदर्श सिंह बेहडा एक कुख्यात अपराधी है, जो मुख्य रूप से सर्राफा व्यापारियों के यहॉ लूट/डकैती डालने का अभ्यस्त अपराधी है। इसका सगा चाचा दीपक सिंह बेहडा भी कुख्यात अपराधी था, जिसकी कई वर्ष पहले वाराणसी पुलिस के साथ मुठभेड के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

<u>आदर्श सिंह बेहडा का अपराधिक इतिहास—</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	321/18	384, 507 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट	सरोजनीनगर	लखनऊ
02	201/19	392, 411 भा0द0वि0	चन्दवक	जौनपुर
03	208/19	41, 411, 419, 413, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0	चन्दवक	जौनपुर
04	207/19	3/25 आर्म्स एक्ट	चन्दवक	जौनपुर
05	12/20	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	चन्दवक	जौनपुर
06	220/21	323, 427, 504, 506 भा0द0वि0	केराकत	जौनपुर
07	21/21	3/25 आर्म्स एक्ट	चन्दवक	जौनपुर
08	20/21	307, 411, 420, 467, 468 भा0द0वि0	चन्दवक	जौनपुर
09	01/21	307, 34, 420, 467, 468 भा0द0वि0	फूलपुर	वाराणसी
10	212/21	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	वाराणसी
11	43/22	392/506/411भा0द0वि0	चन्दवक	जौनपुर
12	139/22	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	बरसठी	जौनपुर
13	218/22	326, 307, 379, 504, 34 भा0द0वि0 व 27 आर्म्स एक्ट	रामगढ	भभुआ (बिहार)
14	242/2024	392 भादवि व 25(1)बी आर्म्स एक्ट व 26/35 आर्म्स एक्ट	सदर	मुजफ्फरपुर (बिहार)
15	254/2025	310(2)/311 बी0एन0एस0 व 25/27 आर्म्स एक्ट	दानकुनी	कोलकता (प0बंगाल)

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना केराकत जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया है। जिनको ए0सी0जे0एम0—तृतीय, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड लेने की कार्यवाही चन्दननगर (प0बंगाल) पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली धातु के आभूषण**
- **4900/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 24.09.2025 को थाना हाईवे व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नेत्रपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली धातु के आभूषण, 4900/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाईवे पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नेत्रपाल निवासी मांगरौल जाट थाना अछनेरा पश्चिम कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी की पीली धातु के आभूषण।

2–4900/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना शमशाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.09.2025 की रात्रि थाना शमशाबाद व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इरादतनगर बाईपास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहाबाद कमिश्नरेट आगरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मुकेश निवासी सिगल खेरा थाना कोतवाली जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23/24.09.2025 की रात्रि थाना उत्तर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टापा खुर्द के जंगल में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त संदीप उर्फ कुलदीप उर्फ चोवा

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना उत्तर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद एटा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप उर्फ कुलदीप निवासी चिरगंवा/सिरगंवा थाना जलेसर जनपद एटा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 36 ग्राम सोना व सोने के आभूषण**
- **लूट के 75 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2025 की रात्रि थाना चरथावल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैदपुर कलां तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई

आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अंकुर 2–लाखन उर्फ लक्खा घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 36 ग्राम सोना व सोने के आभूषण, लूट के 75 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि 18.09.2025 को थाना चरथावल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त अंकुर के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त लाखन उर्फ लक्खा के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकुर निवासी ग्राम अनन्त मऊ थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

2–लाखन उर्फ लक्खा निवासी भावसी रायपुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 36 ग्राम सोना व सोने के आभूषण।

2–लूट के 75 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभारी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 73 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323/324/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहसिन को आजीवन कारावास व 73 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————